झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत)–देवघर / PDS -29/2022 – 762

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 29.09.2023

विषयः– परिवादी श्री राकेश कुमार मिश्रा एवं अन्य से प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि परिवादी श्री राकेश कुमार मिश्रा एवं अन्य, देवघर का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवाद पत्र में देवघर जिला के परिवहन अभिकर्ता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध PDS डीलरों को अनाज की आपूर्ति किये बिना आहार पोर्टल पर JSFC गोदाम से FPS के लिए Dispatch की Entry कर दिये जाने एवं अनाज की कालाबाजारी कराये जाने से संबंधित आरोप लगाये गये हैं। परिवादीगण का आरोप है कि माह मई एवं अगस्त, 2023 में देवघर जिला के कई प्रखण्डों में राशन डीलरों को अबतक अनाज नहीं दिया गया है। परिवाद पत्र में माह दिसम्बर, 2022 में हजारो क्वीन्टल गेहूँ की आपूर्ति किये बिना डिसपैच की ऑनलाईन इन्ट्री कर दिये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी माह दिसम्बर, 2022 में अनाज की आपूर्ति किये बिना ऑनलाईन इन्ट्री कर दिये जाने से संबंधित परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुये थे जिन्हें आयोग के पत्रांक–158 दिनांक–27.02.2023, पत्रांक–236 दिनांक–31.03.2023 द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है। इसी से संबंधित एक अन्य मामले में देवघर जिले के लगभग 50% लाभुकों को गेहूँ से महरूम रखे जाने से संबंधित एक अन्य परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुया था। उक्त मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर कानूनी कार्रवाई किये जाने तथा गेहूँ की कालाबाजारी के कारण जितने लाभुकों को उनकी अहर्ता के अनुरूप गेहूँ नहीं मिला उन्हें मुआवजा का भुगतान कराये जाने हेतु आयोग के पत्रांक–359 दिनांक–25.05.2023 द्वारा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया था। आयोग में प्राप्त इसी प्रकार के एक और आवेदन को आयोग के पत्रांक–408 दिनांक–15.06.2023 द्वारा भेजा गया था। इतने गम्भीर मामले में त्वरित कार्रवाई किये जाने की अवश्यकता थी। परन्तु सार्थक कार्रवाई नहीं हाने के कारण पुनः माह मई एवं अगस्त, 2023 के अनाज भी PDS दुकान में नहीं भेजे जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि आयोग के उपरोक्त पत्र सं0–359 दिनांक–25.05.2023 के मामले में कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को उपलब्ध कराई जाय। साथ ही संलग्न परिवाद पत्र में लगाये गये अन्य आरोपों के मामले में भी जाँच कराकर आवश्यक कठोर कार्रवाई किया जाय। साथ ही दिसम्बर, 2022 के गेहूँ के कालाबाजारी के आरोप के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

29/09/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx493

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No.-06512252267/2252261

46

सेवा में,

श्रीमान् मुख्यमंत्री जी,
श्री हेमन्त सोरेन जी, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
श्री सुखदेव सिंह जी, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव महोदय, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निर्देशक महोदय, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निर्देशालय,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय, राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उपायुक्त महोदय, देवघर

विषय : देवघर जिले में ~~राज्य~~ खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्त्ता एवं जिला आपूर्ति पदा0 प्रभारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, देवघर श्री अमित कुमार के मिली–भगत से वर्षो से हजारों क्वी0 अनाज के कालाबारी के सम्बन्ध में।

महाशय,

हमलोग देवघर जिला निवासी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि श्री अमित कुमार जिला आपूर्ति पदा0 देवघर को राज्य खाद्य निगम का जिला प्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तब से देवघर जिला के हजारों क्वी0 अनाज राज्य खाद्य निगम के अभिकर्ता एवं अमित कुमार द्वारा कालाबाजारी में बेचवा दिया गया है। जिसकी भरपाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं NFSA का जिले के डीलरों के EPOS मशीन में बिना अनाज दिये ऑनलाईन कर दिया गया है। प्रखंड मारगोमुण्डा, प्रखण्उ–करौं, प्रखण्ड–सारठ, प्रखण्ड–सारवाँ एवं कई अन्य प्रखंडों में भी यही हालत है। अब दुकानदारों का अनाज NIC द्वारा कटौती कर लिया गया है। माह मई 2023 में देवघर जिला के कई प्रखंडों में डीलरों को गेहूँ नहीं दिया गया जबकि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सम्पूर्ण आवंटन देवघर जिला के लिये दिया गया था यह अनाज कहाँ गया यह जाँच का विषय है। सरकार के आदेश के बावजूद भी देवघर जिला के कई प्रखंडों में अभी तक अगस्त 2023 का कई डीलरों को अनाज नहीं दिया गया।

..... क्रमशः

1. छः माह पूर्व सारवाँ प्रखण्ड के चार सौ क्वी0 (400) राज्य खाद्य निगम के ठीकेदार एवं जिला आपूर्ति पदा0 के मिली–भगत से अनाज को कालाबाजारी में बेचवा दिया गया। राज्य खाद्य निगम सारवाँ के गोदाम प्रबंधक श्री प्रेम मुर्मू द्वारा चार सौ क्वी0 ठीकेदार द्वारा अनाज नहीं दिये जाने की सूचना जिला आपूर्ति पदा0 को दिया जिसकी प्राप्ति रसीद प्रेम मुर्मू सहायक गोदाम प्रबंधक के पास है जाँच से यह सारी बातें स्पष्ट हो जायेगा। अब उन्हें हटा दिया गया है। विगत आठ माह का भारतीय खाद्य निगम द्वारा सारवाँ राज्य खाद्य निगम को कितना अनाज दिया गया जाँच से सवतः स्पष्ट हो जायेगा। सारवाँ राज्य खाद्य निगम के गोदाम में विगत आठ माहों का लेखा जोखा होगा कि निश्चित रूप से गंभीर आरोप इन दोनों पर होगा। करौं प्रखंड के राज्य खाद्य निगम के गोदाम में (600) छः सौ क्वी0 अनाज कम है जिसे ठीकेदार राज्य खाद्य निगम द्वारा पूर्व के सहायक गोदाम प्रबंधक से प्राप्ति रसीद लेना चाहते हैं परन्तु उनके द्वारा प्राप्ति नहीं दिया गया है। विगत आठ माहों का अगर अनाज का लेखा–जोखा होगा तो इस गोदाम में भी शॉर्टेज होगा।

2. मारगोमुण्डा राज्य खाद्य निगम के गोदाम में भी सहायक गोदाम प्रबंधक श्री अमित कुमार पूर्व गोदाम मैनेजर से भी (400) चार सौ क्वी0 अनाज का प्राप्ति राज्य खाद्य निगम के ठीकेदार द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु श्री कुमार ने बिना अनाज दिये प्राप्ति रसीद नहीं दिया अब श्री अमित कुमार को मारगोमुण्डा गोदाम से हटा दिया गया है परन्तु कुछ रूपये के लालच में कम्प्युटर ऑपरेटर श्री पाठक द्वारा ऑन लाईन कर दिया है, परन्तु बाद में इनके द्वारा लिखित सूचना दी गई कि गलती से ऑन लाईन हो गया था जिसका कारण यह था कि जिला आपूर्ति पदा0 द्वारा दबाव के बावजूद भी गोदाम मैनेजर श्री अमित कुमार द्वारा अनाज प्राप्ति नहीं दिया है जिसे जाँच करने से स्वतः स्पष्ट हो जायेगा।

3. मधुपुर राज्य खाद्य निगम के गोदाम में भी लगभग एक हजार क्वी0 अनाज का गबन है जो जाँच से स्पष्ट हो जायेगा। पालोजोरी गोदाम में भी (800) आठ सौ क्वी0 अनाज का कालाबाजारी हुआ है।

महोदय को यह सूचित करना चाहता हूँ कि जबसे जिला आपूर्ति पदा0 श्री अमित कुमार को जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम का प्रभार दिया गया है तब से राज्य खाद्य निगम के ठीकेदार से मिली–भगत करके करोड़ों रूपया अवैध तरीके से अर्जित कर लिये हैं। इस बात की जानकारी विभागीय पदाधिकारी राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड झारखण्ड, राँची को भी है। विगत एक वर्ष से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लेकर एन0 एफ0 एस0 ए0 का अनाज को कभी कुछ प्रखंड में कुछ डीलरों को चावल नहीं दिया जाता था कभी कुछ डीलरों को सिर्फ गेहूँ ही दिया जाता था और डीलरों के ई0 पॉस मशीन में Online कर दिया जाता था। डीलर उतना समझ नहीं पाता था, जिला आपूर्ति

..... क्रमशः

पदा0 का व्यवहार ऐसा जानकारी मिल रहा है कि ये डोर स्टेप डिलेवरी का नियुक्ति राँची निविदा कम्पनी से सेटिंग कर लेते हैं और अपने मनोनुकुल निविदाकर्ता की नियुक्ति लाखों रूपया लेकर करते हैं। ये प्रखंड आपूर्ति में भी अपने जाति के लोगों को एम0 ओ0 का प्रभार दिलवाये हैं, प्रखंड देवघर एवं प्रखंड देवीपुर में अपने जाति के ही लोगों को एम0 ओ0 का प्रभार दिलवाये हैं वो भी बी0डी0ओ0 से दबाव डालकर अपने चहेते आदमी का अनुशंशा करवा लिये हैं। अब ये लोग कार्ड बनाने से लेकर महिनवारी वसूली करने तक डीलरों को तबाह कर रहे हैं। ये महिनों संचिका को दबाये रखते हैं।

माह दिसम्बर 2022 में भी हजारों क्वी0 गेहूँ देवघर जिला के सभी डीलरों के ई0 पॉस मशीन में बिना अनाज दिये ही ऑन लाईन कर दिया गया था। यह मामला जब विधान सभा में गूँजा तो बाद में जिला आपूर्ति पदा0 ने गेहूँ का ऑन लाईन गलती से होने की बात स्वीकार किया गया जिसकी सूचना विभाग को भी दी गई। क्या इतना बड़ा घोटाला गलती से होता है। एक प्रखंड का गलती स्वीकार किया जा सकता है, सारे प्रखंडों के डीलरों को बिना अनाज दिये ऑन लाईन गलती से होता है। विभाग को भी इस बात की सारी जानकारी है, परन्तु विभाग ने आज तक इनका स्थानान्तरण नहीं किया।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त विषयों की जाँच करवा कर संलिप्त पदाधिकारी/ठीकेदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(1) Rakesh Kumar mishra
(2) प्रमोद यादव
(3) बालकृष्ण रवानी
(4) [illegible] यादव
देवघर प्रखंड जिला - देवघर